भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3140

जिसका उत्तर 20.08.2025 को दिया जाना है

यातायात की बढ़ती समस्याएँ और वैध पार्किंग के लिए दिशानिर्देश

3140 # श्री नीरज डांगीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के प्रमुख शहरों में यातायात की बढ़ती समस्या का मुख्य कारण वैध पार्किंग की उपलब्धता के बारे में झूठे शपथ-पत्र देकर वाहन का पंजीकरण कराना है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश चार पहिया वाहन खरीददार बैंकों, गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों या वित्तीय (फाइनेंस) कंपनियों से ऋण लेते हैं;

(ग) क्या बैंक ऋण स्वीकृत करते समय वाहन खरीददारों से पार्किंग की वैधता के बारे में शपथ-पत्र मांगते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी करने या वित्तीय संस्थानों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) मोटर यान अधिनियम, 1988, ("अधिनियम") की धारा 70(1)(ड.) में किसी मंजिली गाड़ी की बाबत परमिट के लिए आवेदन में वे इंतजाम जिन्हें यानों के रखने, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए, यात्रियों के आराम और सुविधा के लिए तथा सामान के भंडारकरण तथा निरापद अभिरक्षा में रखने के लिए करने का इरादा है की विशिष्टियां अधिदेशित की गई हैं।

अधिनियम, 1988 की धारा 77(घ) में किसी माल वाहन के परमिट के लिए आवेदन में यान के रखने, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए और माल के भंडारकरण और निरापद अभिरक्षा के लिए आशयित व्यवस्थाओं की विशिष्टियां अधिदेशित की गई हैं।

अधिनियम की धारा 117 के अनुसार, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, संबंधित क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करके ऐसे स्थान अवधारित कर सकेगा जहां मोटर यान या तो अनिश्चित या विनिर्दिष्ट समय तक ठहर सकेंगे तथा वे

स्थान अवधारित कर सकेगा, जिनमें सार्वजनिक सेवा यान उतने समय से अधिक समय तक ठहर सकेंगे जितना यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार की भूमिका मोटर यान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत नियमों/विनियमों को अधिसूचित करना है। मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अंतर्गत बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ख) से (ङ) वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण संबंधी निर्णय लेते हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने सूचित किया है कि बैंकों को चार पहिया वाहन के लिए ऋण स्वीकृत करते समय पार्किंग स्थान की उपलब्धता के संबंध में हलफनामे की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, वाहन पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 18 अगस्त, 2025 तक चार पहिया वाहनों पर बंधक अभिलेखों (हाइपोथिकेटेड रिकॉर्ड) की कुल संख्या 2,49,15,375 है। वर्तमान में, इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस संदर्भ में वित्तीय संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं है।

*****